न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 1/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना, रेवदर, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री हीराराम पुत्र श्री नगाजी जाति मेघवाल निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही।
2. श्री मुपाराम पुत्र श्री कानाजी जाति लुहार निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही।
3. श्री रमेशपुरी पुत्र श्री भुरपुरी जाति स्वामी निवासी हमीरपुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही।
4. श्रीमती शांतिदेवी उर्फ बब्बी पत्नि श्री मोतीलाल जाति जैन निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4/5 भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878

उपस्थिति :–

1. श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. श्री उमाराम रेबारी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय

दिनांक 15.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.2007 को थानाधिकारी पुलिस थाना रेवदर को सूचना मिली कि ग्राम दांतराई के पास खुदाई में मजदूरों को गढ़ा हुआ धन मिला है जो आपस में बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहे है, जिस पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो श्री रमेशपुरी पुत्र श्री भुरपुरी जाति स्वामी निवासी हमीरपुरा एवं श्री हीराराम पुत्र श्री नगाजी जाति मेघवाल निवासी दांतराई से 1 किलो 45 ग्राम चांदी के टुकडे व 23.4 ग्राम सोने का टुकड़ा व एक जैला ब्लड़ 7.2 ग्राम मय कटोरदान मिले। पुलिस द्वारा उक्त सभी को कब्जे सरकार लिया जाकर भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 के तहत जब्त सरकार करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर आम इश्तिहार क्रमांक कोर्ट/2019/259–267 दिनांक 09.05.2019 जारी किया गया। जिसे निदेशक, पुरातत्व विभाग, जयपुर, पुलिस अधीक्षक सिरोही, उपखण्ड अधिकारी, रेवदर, तहसीलदार, रेवदर थानाधिकारी, पुलिस थाना, रेवदर, ग्राम पंचायत [illegible] एवं वह स्थान जहां पर निखात निधि पाई गई उस स्थान पर तामिली [illegible] चस्पा किया गया। अन्दर म्याद अप्रार्थिया संख्या 4 श्रीमती शांतिदेवी उर्फ बब्बी [illegible] मोतीलाल जाति जैन निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही की ओर से श्री उमाराम रेबारी अधिवक्ता ने वकालतनाम पेश कर पुलिस [illegible] स्वय के मकान की खुदाई में मिलने से अपना क्लेम पेश कर मालिकाना हक [illegible] जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:38:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

सरकार की ओर से श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा दांतराई मे पाई गई निखात निधि के संबंध मे जारी इश्तिहार की अवधि समाप्त हो चुकी है । दौराने

Scanned with CamScanner

अवधि श्रीमती शांतिदेवी उर्फ बब्बी पत्नि श्री मोतीलाल जाति जैन निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही द्वारा अपना क्लेम क्लेम प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ प्रस्तुत फोटो एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 बुक नं. 13 मिसल नं. 21/2019–20 दिनांक 13.10.2020 जो प्रस्तुत किया गया है। वह मानने योग्य नहीं है। निखात निधी दिनांक 05.07.2007 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से पुलिस द्वारा बरामद कर अभियुक्तगण को जेएम न्यायालय में माल सहित पेश किया गया। जहां से वाद ट्रायल जेएम न्यायालय रेवदर द्वारा दोषसिद्ध किया गया था प्रत्येक अभियुक्त का पाबन्दी अवधि के दौराने पांच–पांच हजार रूपये के निजी व जमानती मुचकले पर परिशान्ती कायम व सदाचार रखते हेतु व धारा 5 अभियोजन व्यय के सौ–सौ कुल तीन सौ रूपये के अर्थ दण्ड़ से दण्ड़ित कर जमा राशि राजकोष में जमा करवाने व सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित प्रमाण–पत्र जारी करवाकर जमा मालखाना जमा करवाने हेतु पाबंद किया गया था। यह सम्पत्ति राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त सरकार की जाने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से कोई क्लेम/जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती शांतिदेवी उर्फ बब्बी पत्नि श्री मोतीलाल जाति जैन निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी ने अपना क्लेम क्लेम प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ प्रस्तुत फोटो एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 बुक नं. 13 मिसल नं. 21/2019–20 दिनांक 13.10.2020 जो प्रस्तुत किया गया है।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अप्रार्थिया संख्या 4 द्वारा जिस मकान से बरामद सम्पत्ति अपनी होना क्लेम किया गया है, उसमें ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 बुक नं. 13 मिसल नं. 21/2019–20 का पट्टा दिनांक 13.10.2020 को जारी किया गया है। जबकि निखात निधी पुलिस द्वारा 05.07.2007 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से बरामद की गई है एवं जेएम न्यायालय रेवदर द्वारा दोषसिद्ध किया गया था प्रत्येक अभियुक्त का पाबन्दी अवधि के दौराने पांच–पांच हजार रूपये के निजी व जमानती मुचकले पर परिशान्ती कायम व सदाचार रखते हेतु व धारा 5 अभियोजन व्यय के सौ–सौ कुल तीन सौ रूपये के अर्थ दण्ड़ से दण्ड़ित किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थिया संख्या 4 से पुलिस द्वारा सम्पत्ति बरामद नहीं करने एवं विवादित स्थल से बरामद सम्पत्ति दिनांक 05.07.2007 को बरामद हुई एवं पट्टा दिनांक 13.10.2020 प्र को ग्राम पंचायत, दातराई के सरपंच द्वारा जारी किया गया है जबकि क्लेमेन्ट द्वारा प्रस्तुत क्लेम में अपनी संपति को 100 साल पुरानी होना बताया है।ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा बरामद सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 4 की नहीं मानी जा सकती। क्लेम रद्द किया जाकर बरामद सम्पत्ति 1 किलो 45 ग्राम चांदी के टुकड़े एवं 23.4 ग्राम सोने का टुकड़ा व एक जैला ब्लड़ 7.2 ग्राम मय कटोरदान को मालिक विहिन सम्पत्ति (Ownerless Property) घोषित करते हुए जब्त सरकार करने के आदेश दिये जाते है

चूंकि चांदी एवं सोना बहुमूल्य सम्पत्ति है जिसका निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोषाधिकारी, जयपुर शहर को अधिकृत किया हुआ है अतः उक्त चांदी एवं सोने को कोष कार्यालय, जयपुर शहर में जमा [illegible] एक जैला ब्लड़ 7.2 ग्राम मय कटोरदान को नीलाम करने के आदेश दिये जाते [illegible] थानाधिकारी, पुलिस थाना, रेवदर जमा कराने एवं नीलाम कराने की कार्यवाही अपने स्तर पर करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:38:45 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner